

# अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18  
अंक : 99

प्रयागराज बुधवार 25 दिसंबर 2024

पृष्ठ- 4, मूल्य:- एक रुपया

## पीएम खजुराहो में करेंगे आज केन-बेतवा नदी जोड़े राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास

भोपाल,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत-रन्न से सम्मानित रख. अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्यप्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़े परियोजना का शिलान्यास करेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री श्री मोदी देश की पहली ओंकारेश्वर पठेंटिंग सेरी परियोजना का लोकार्पण और 1153 अठल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि-पूजन करेंगे। देश को नदी जोड़ी की परिकल्पना

इस परियोजना के शिलान्यास के साथ ही रख. वाजपेयी का नदी जोड़े का सपना मध्यप्रदेश में मूर्त रूप लेगा। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, देश में भूमिगत दाव

मुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली

अपनाने वाली सबसे बड़ी

सिंचाई परियोजना है। इस

परियोजना से मध्यप्रदेश के

10 जिलों छतरपुर, पन्ना,

टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह,

शिवपुरी और रायसंग में 8 लाख

11 हजार हैंटेट्यू क्षेत्र को

सिंचाई की सुविधा मिलेगी और

44 लाख किसान परिवार

लाभान्वित होंगे। फसलों के

उत्पादन एवं किसानों की आय

में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था

सुदूर होगी और जल विद्युत

परियोजनाओं के निर्माण से

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी बुधवार को दोपहर 12:10 बजे खजुराहो आयेंगे और दोपहर 2:20 बजे दिल्ली के लिये रगाना होंगे। कर्यक्रम में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुआई पठें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी द्वारा

देने वाले युगदृष्टा रख. वाजपेयी की जयंती पर यह

मध्यप्रदेश के बड़ी सौगत होंगी। श्री मोदी बुधवार को दोपहर 12:10 बजे खजुराहो आयेंगे और

दोपहर 2:20 बजे दिल्ली के लिये रगाना होंगे। कर्यक्रम

में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुआई पठें, मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.

पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी द्वारा

परियोजनाओं के निर्माण से

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इस

परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59 हजार हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी एवं 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जायेगा।

हरित ऊर्जा में 103 मेगावॉट योगदान के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर जल प्रबंधन एवं

औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आप





मेधावी दिव्यांगों के सपनों को उड़ान देगी छात्रवृत्ति, 12 राज्यों और देश के 75 जिलों से आए थे विद्यार्थी

प्रयागराज। 'कौन है जिसके पास कुछ कमी नहीं, आसाम के पास भी तो जर्मी नहीं...' दिव्यांगता को हराते हुए अपनी मेधा से मुकाम हासिल करने वाले ऐसे ही मेधावियों को श्री डारीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सोमवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के जोपी सभागार में अमर उजाला फाउंडेशन, दिव्यांग सेवा चौटिटेल ट्रस्ट और विकलांग सहायता संस्था की ओर से 12 राज्यों के 93 मेधावियों को 17.16 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, प्रदेश सरकार की दिव्यांगजन विभाग की ब्रांड एंसेसर हमारी बुदेला ने दिव्यांगों में जोश भरा। उन्होंने कहा कि सात साल पहले मैं बैठी थी, लेकिन मैंने हाँ नहीं मानी और आज आपके बीच मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। उन्होंने लक्ष्य बनाकर अगे बढ़ने का संदेश दिया। संस्था अनिल अग्रवाल ने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कार्यक्रम संयोजक सुनील विकल ने छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम की अवधिकारी एफएस अध्यक्ष और उद्यमी पूर्ण डाक्टर ने की। उन्होंने युवाओं को उद्यमशील बनने के लिए कहा, जिससे वो समाज के लिए कुछ कर सकें। ट्रस्ट के संस्थापक डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने ट्रस्ट के सफर और छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके सफल छात्रों की कहानी से दिव्यांगों में प्रेरणा भरी। समारोह में शैलेंद्र नरवार निर्विशित संस्था की डाक्यूमेंट्री का विमोचन और प्रदर्शन भी किया गया। अंत में छात्रवृत्ति में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 15 दिव्यांगों को मंच से उत्तरकाल अतिथियों ने छात्रवृत्ति दी। कार्यक्रम में दिव्यांग सेवा चौटिटेल ट्रस्ट के संस्कार रामशरन मितल, अध्यक्ष डॉ. ज्ञान प्रकाश, संचिव प्रेम शंकर अग्रवाल, उद्यमी डॉ. रंजना बंसल, मुशर्री लाल गोयल पैट उपरिथ रहे। अंत में उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने किया। जेसर एस राजकुमार डॉ. मुनीश्वर तुमा और रीनेश माहेश्वरी, डॉ. अरुण चतुर्वेदी, जितेंद्र फौजिदार, डॉ. रुचि चतुर्वेदी, रेणुका डंग, डॉ. वीके आहूजा, मुनेंद्र जायदी, दिवाकर तिवारी, निमेला दीक्षित, राक्षश शुक्ला, मनोष अग्रवाल, नंद किशोर गोयल, प्रतिमा जिंदल, श्रुति सिन्हा, बविता पाठक, वत्सला प्रभाकर, रितु गोयल आदि मौजूद थे।

### प्रशासन की मिलीभगत से चलते हैं ओवर लोड ट्रक

गंगापार। यमुनापार के प्रयागराज रीवा हाईवे पर देर रात अवैध ओवर लोड वाहनों की संख्या भले इन दिनों पहले से बहुत कम हो गई हो लेकिन इस कार्य में सहयोग देने वाले खनन कर्मियों और परिवहन कर्मियों की कमाई जस की तस ही है। होता यह है कि गाड़ी कम होने पर

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि दे देता है। अब जो ट्रक इन दोनों विभागों को उनके द्वारा किश दे देते हैं उनके द्वारों के नंबर की लिस्ट वाहन जाच करने के लिए निकलने वाली टीम के पास रहता है। यदि संयोग से किसी भी ट्रक का नंबर उसकी खात्र नहीं होती है। पहले तो उस वाहन को रोककर उसके संचालक से लेन देन की बात होती है, बात बन गई तो टीक बरना उसे सीज कर दिया जाता।

लेन देन का भाव भाव जाता है

जिससे ट्रक संचालकों को नुकसान तो होता है लेकिन लिप्त कर्मियों की कमाई पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।

जानकारी कुछ इस तरह की मिली है कि परिवहन विभाग प्रति ट्रक पांच से दस हजार रुपए की दर से ओवर लोड वाहनों को चलने के लिए इंट्री देता है, इसी तरह खनन विभाग भी अपनी हिस्से दारी ले कर ओवर लोड वाहनों को निकलने की प्रतिष्ठि द